प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01705/2019-2020

दिनांक 23/12/2019

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/ALI/02344/2019-2020 पत्रावली संख्या:AG 25546 दिनांक:1999-2000

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **अंकुर एजूकेशनल सोसाइटी, गुलशन कॉलोनी मैलरोज फेक्ट्री के निकट, जी0टी0 रोड अलीगढ़, अलीगढ़, 202001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1776/1999-2000 दिनांक-01/12/1999 को दिनांक-01/12/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-23/12/2019

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula M...
Post Bhankari, G.T. Ro...
Aligarh

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

uprfsc.gov.in/ferrate/chat/Licesne.aspx?At=R

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 262139

Manoj Sharma

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

20.2.14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

30AC 262140

अंकुर एजुकेशनल [illegible]

[illegible] अलीगढ़

[illegible] 25546

Manjy Sharma

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

उप निबन्धक
[illegible]
[illegible]

20.2.14

स्मृति-पत्र

१. संस्था का नाम : अंकुर एज्यूकेशनल सोसाइटी ।

२. संस्था का पूरा पता : गुलशन कालोनी मैलरोज फैक्ट्री, जी. टी. रोड अलीगढ ।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

४. संस्था का उद्‌देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार इस प्रकार होगा:-

१. बालक बालिकाओं को उत्तम, आधुनिक, वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना तथा शुद्ध पर्यावरण का विकास करना ।

२. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, हरिजन समाज, कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग आदि से समय-समय पर दान अनुदान एवं सहायतायें प्राप्त करना एवं उनका उपयोग संस्था के विकास के लिये करना ।

३. संस्था का उद्‌देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राइमरी, प्राईमरी से जु०हा० स्कूल व जू०हा० स्कूल से इण्टरमीडियेट तक के विद्यालय व महाविद्यालयों तक की स्थापना करना व उसका संचालन करना ।

४. कन्या विद्यालय, इंग्लिश मीडीयम के विद्यालयों का संचालन करना व प्रौढ़ शिक्षा का व साक्षरता अभियान चलाना । हिन्दी, अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू आदि शिक्षा का प्रतिक्षण देना शैक्षिक योग्यता के साथ साथ तकनीकी शिक्षा टाईपिंग,कम्प्यूटर, सिलाई,कढ़ाई, बुनाई, कताई एवं हस्तशिल्प आदि एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर उन्हें स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाना ।

५. महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊँचा उठाना, इस हेतु महिला शिल्प कला केन्द्र महिला, छात्रावास खोलकर विधवा परित्यक्त एवं समाज द्वारा शैक्षित महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिये साधन जुटाना उनमें स्वालम्बन की भावना उत्पन्न करने हेतु उन्हें विभिन्न तकनीकी विधाओं से प्रतिक्षित करना उन्हें आवा, भोजन, वस्त्र एवं दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

सत्य प्रतिलिपि

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

wk38..50

प्रबन्धसमिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम पता पद व व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

क्रम0 सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री आर0 के0 शर्मा पुत्र श्री रामबाबू शर्मा	गुलशन पार्क, मैलरोज फैक्ट्री के पास, जी0 टी0 रोड, अलीगढ़ ।	अध्यक्ष	नौकरी
2.	श्री धर्मवीर शर्मा पुत्र श्री के0 जी0 शर्मा	एकता नगर, जिला अलीगढ़ ।	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री राजकुमार	गुलशन पार्क, मैलरोज फैक्ट्री के पास, जी0 टी0 रोड, अलीगढ़	प्रबन्धक	स0 सेवा
4.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा	सराय हरनारायन, अलीगढ़ ।	उप प्रबन्धक	स0 सेवा
5.	श्री पूरन चन्द्र शर्मा पुत्र श्री चिरंजी लाल	सराय हरनारायन, अलीगढ़ ।	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6.	श्रीमती स्नेहलता शर्मा पत्नी श्री के0 के0 शर्मा	शिवपुरी, जिला अलीगढ़ ।	आडीटर	गृहणी
7	श्रीमती सनेन्द्र कौशिक पत्नी श्री अजीत कुमार कौशिक	सराय हरनारायण, अलीगढ़ ।	सदस्य	गृहणी
8.	श्री कपिल पाराशर पुत्र श्री राकेश शर्मा	जी–1, एकता नगर अलीगढ़ ।	सदस्य	डाक्टर
9.	श्री आशू कौशिक पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा	सराय हरनारायण, अलीगढ़	सदस्य	व्यापार
10.	श्री हरपाल सैनी पुत्र श्री [illegible] लाल सैनी	गंगा नगर कालोनी, अलीगढ़ ।	सदस्य	व्यापार
11.	श्री मयंक उपाध्याय पुत्र श्री नवनीश उपाध्याय	सारसौल नीयत 2 जी0 टी0 रोड अलीगढ़ ।	सदस्य	व्यापार
12.	श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी श्री शीलेन्द्र कुमार शर्मा	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बुलन्दशहर	सदस्य	गृहणी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि संलग्न स्मृति पत्र व नियमावली के अनुसार सोसा0 रजि0 एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है ।

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

नियमावली

1. संस्था का नाम– अंकुर एज्यूकेशनल सोसाइटी ।

2. संस्था का पता– गुलशन पार्क कालोनी मैलरोज बाईपास (मण्डी) के पास जी.टी. रोड अलीगढ ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उद्देश्य–

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एव विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चंदा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे ।

जो निम्न वर्ग के होंगे :–

आजीवन सदस्य: जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/-- रू0 दान स्वरूप निस्वार्थभाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य: जो सज्जन इस संस्था को 101/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क या चंदा के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

6. सदस्यता की समाप्ति–1. सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2. आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थिति रहने पर ।

6. किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7. सदस्य द्वारा त्याग--पत्र दिये जाने व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7. संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा, (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8. साधारण सभा– (अ) गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

जावेगा ।

प्रबन्धक– 1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना, व उसकी सूचना

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

सत्य प्रतिलिपि

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर आहुत की जावेगी ।

(स) सूचना–अविध– साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यो को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा । कोरम के अभाव में स्थिगित बैठक पुनः अगले दिन निर्धारित स्थान व समय व पूर्व ऐजेण्डा विषय पर होगी जिसमें कोरम की कोई आवश्यकता न होगी ।

(ग) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि–

सस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी, सूचना सदस्यों को निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व दी जावेगी ।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2. नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धाराओं के अन्तर्गत 2/3 बहुमत से करना ।

3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9 प्रबन्धकारिणी समिति– (अ) गठन–प्रबंधकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से कम से कम 12 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा, प्रबंधसमिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबंधक, उपप्रबंधक एक कोषाध्यक्ष, एक आडीटर (छै.) कार्यकारिणी शेष सदस्य होंगे ।

(ब)बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को कभी भी सूचना देकर बुलाई जा सकती है

(स)सूचना–अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

प्रबन्धक– 1. संस्था की ओर से ~~सभी प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना, व उसकी सूचना~~

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

20-214

(द)गणपूर्ति– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा कोरम के अभाव में स्थिगित बैठक पुनः अगले दिन निर्धारित स्थान व समय पर पूर्व ऐजेण्डा विषयों पर विचार करने हेतु बुलाई जावेगी कोरम की कोई आवश्यकता न होगी ।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति–

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान/पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणीसमिति में शेष कार्यकाल के लियें कर ली जावेगी ।

(र)प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना

2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना ।

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार,समाज कल्याण बोर्ड एवं अन्य संस्थानों,निकायों, प्रतिष्ठानों नागरिकों आदि से दान अनुदान चंदा एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5. ~~संस्था के विकास हेतु उपईकाईयों एवं उप समितियों का गठन करना एवं उनका विधिवत् संचालन करना~~ ।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यो का कार्यकाल पांच वर्ष होगा ।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष– 1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिगों की अध्यक्षता करना ।

2. मीटिग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3. संस्था की कार्यकारिणीसमिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना, सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धक– 1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना, व उसकी सूचना

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

सत्य प्रतिलिपि

Manju Sharma

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

सदस्यों तक पहुचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2 संस्था के कार्यकमों की रूप रेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

3 संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान, चंदा व सदस्याताशुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।

4 संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

5 संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों / विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओ की नियुक्ति, निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

6 संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों चैकों, ड्राप्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

7 संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो करना ।

उपप्रबंधक– 1 प्रबंधक की अनुपस्थिति में उपप्रबंधक समस्त कार्यो की देखभाल करेगा ।

कोषाध्यक्ष– 1 संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।

2 संस्था के कोष को संस्था के खाते मे जमा करना एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता का संचालन करना

3 प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना ।

आडीटर– संस्था के आय–व्यय बही पत्रों को सत्र समाप्ति पर आडिट करना व आडिट रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति व आमसभा के समक्ष निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना व त्रुटियों आदि को ठीक करना ।

11. संस्था के नियमो विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमो विनियमो में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0

की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोला जायेगा ।
[illegible] तथा कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से संचालन करेंगे ।

प्रबन्धक– 1 संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना, व उसकी सूचना

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण {आडिट}–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य व्यक्ति या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख–

1. सदस्यता रजिस्टर ।
2. कार्यवाही रजिस्टर ।
3. एजेण्डा रजिस्टर ।
4. लेजर, कैशबुक रजिस्टर आदि ।

16. संस्था का विघटन–

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक 16.11.99

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manoj Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh